



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक: 1495/अका./का.प./2016

रायपुर, दिनांक 14/06/2016

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बीसवीं* बैठक सोमवार, दिनांक 06.06.2016 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति सचिवालय के बैठक कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. श्री ललित सुरजन	—	सदस्य
3. श्री सत्यनारायण शर्मा	—	सदस्य
4. श्री शिवरतन शर्मा	—	सदस्य
5. श्री श्रीचंद सुंदरानी	—	सदस्य
6. श्री नवीन मारकण्डेय	—	सदस्य
7. डॉ. शैलेन्द्र सराफ	—	सदस्य
8. डॉ. अमरकांत पाण्डेय	—	सदस्य
9. डॉ. (श्रीमती) रमा पाण्डेय	—	सदस्य
10. डॉ. के.एन. बापट	—	सदस्य
11. श्री चन्द्र कुमार चन्द्राकर	—	सदस्य
12. श्री एस.के. चक्रवर्ती	—	सदस्य
13. डॉ. दिनेश मारोटिया	—	सदस्य
14. श्री नरेश चन्द्र गुप्ता	—	सदस्य
15. प्रो. आर. पी. दीक्षित	—	सदस्य
16. डॉ. लक्ष्मीकांत भारती	—	सदस्य
17. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	—	सचिव

कार्यपरिषद् की ओर से नवनियुक्त सदस्य डॉ. शैलेन्द्र सराफ एवं डॉ. अमरकांत पाण्डेय का कुलसचिव द्वारा गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया।

बैठक के प्रारंभ में कुलपति जी ने सभी सदस्यों को सूचित किया कि विश्वविद्यालय के 22वाँ दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पद्म विभूषण डॉ. जयन्त विष्णु नार्लीकर ने दिनांक 10.08.2016 को आने की सहमति प्रदान की है। सदस्यों ने सहमति एवं अनुमोदन प्रदान किया। इस दीक्षांत समारोह के लिए शेष कार्यवाही कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 08.01.2016 में हुए निर्णय अनुसार होंगे।

कुलपति जी ने यह भी अवगत कराया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) के अंतर्गत देशभर के विश्वविद्यालय के रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय को 61.09 अंकों के साथ 46वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार विश्वविद्यालय फार्मैसी संस्थान को 22वाँ रैंकिंग प्राप्त हुआ है। यह बड़े हर्ष की बात है कि विश्वविद्यालय ने अपने शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से यह उपलब्धि प्राप्त की है, जो सभी कार्यपरिषद् सदस्यों तथा विश्वविद्यालय से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी लोगों के सहयोग से संभव हो सका।

कुलपतिजी ने सभा को सूचित किया कि विश्वविद्यालय को Indian National Trust for Arts & Cultural Heritage (INTACH) की संस्थागत सदस्य (Institutional Membership) एवं Governing Council में स्थान प्राप्त हुआ। इससे विश्वविद्यालय को Extension activity आयोजित करने में सहायता मिलेगी।

कार्यवृत्त

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 26.03.2016 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 26.03.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि निर्णय क्रमांक 14 एवं 15 में निम्नलिखित संशोधन के साथ की गई –

विषय क्र.	कार्यपरिषद् का निर्णय	संशोधन प्रस्ताव
14	पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के लिए बुक क्रय के लिए विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा अनुसार अरविंद प्रकाशन, उदयपुर से उनके द्वारा प्रस्तावित अधिकतम छूट की दर पर क्रय करने का अनुमोदन करते हुए भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के लिए बुक क्रय के लिए विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा अनुसार 1. Indian Publication : Print Books अधिकतम छूट दर 34% पर Rishabh Books, New Delhi 2. Foreign Publication; Print Books अधिकतम छूट दर 34.06% पर Arvind Prakashan , Udaipur से 3. CD/DVD Books: No discount दर पर 34.06% पर Arvind Prakashan, Udaipur से उनके द्वारा प्रस्तावित अधिकतम छूट की दर पर क्रय करने का अनुमोदन करते हुए भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।
15	पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के लिए ई-बुक्स क्रय करने के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा अनुसार ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन बुक्स से उनके द्वारा प्रस्तावित अधिकतम छूट की दर पर क्रय करने का अनुमोदन करते हुए भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के लिये ई बुक्स क्रय करने के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा अनुसार Allied Publishers Subscription Agency, Mumbai से उनके द्वारा प्रस्तावित अधिकतम छूट की दर पर क्रमशः 65% पर Oxford University Press online books एवं 10% पर Wiley online books क्रय करने का अनुमोदन करते हुए, भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 26.03.2016 की बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 26.03.2016 की बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण किया गया।

03. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 18.05.2016 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 18.05.2016 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

04. दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग को भुगतान किये गए राशि रु. 1,95,92,180.00 (एक करोड़ पन्चानबे लाख ब्यानबे हजार एक सौ अस्सी रुपए) की कर सूचना ग्रहण करना।
निर्णय : दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग को भुगतान किये गए राशि रु. 1,95,92,180.00 (एक करोड़ पन्चानबे लाख ब्यानबे हजार एक सौ अस्सी रुपए) की कर सूचना ग्रहण करते हुये अनुमोदन किया गया।
05. यूटीलिटी सेंटर भवन के पास ट्रांसफार्मर संस्थापन राशि रु. 11,31,214.00 (ग्यारह लाख इकत्तीस हजार दो सौ चौदह रुपए) के भुगतान का अनुमोदन करते हुए सूचना ग्रहण करना।
निर्णय : यूटीलिटी सेंटर भवन के पास ट्रांसफार्मर हेतु पृथक से राशि प्रदाय की, सूचना ग्रहण की। यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा परिसर में भूमि प्रदान की गई है, अतः उक्त हेतु छूट प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा जावे।
06. विश्वविद्यालयीन शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य शासन के नियमानुसार शासन के अनुरूप 119 प्रतिशत के स्थान पर 125 प्रतिशत के दर से महंगाई भत्ता माह मई से भुगतान करने कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करना एवं एरियर्स की राशि रूपए 27,57,710/- (रूपए सत्ताईस लाख संतावन हजार सात सौ दस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना।
निर्णय : विश्वविद्यालयीन शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य शासन के नियमानुसार शासन के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से (माह जनवरी, 2016 का वेतन जो माह फरवरी 2016 में देय है) महंगाई भत्ता 119 प्रतिशत के स्थान पर 125 प्रतिशत की दर से भुगतान करने की कार्योत्तर स्वीकृति की गई एवं एरियर्स की राशि रूपए 27,57,710/- (रूपए सत्ताईस लाख संतावन हजार सात सौ दस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
07. विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 24.05.2016 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।
निर्णय : विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 24.05.2016 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। माननीय कुलपति जी ने शासन के पत्र के संदर्भ में सूचना दी एवं सूचित किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये गये पंदों पर वचनबद्धता (Concurrence)/ सहमति देने में शासन ने असमर्थता व्यक्त की है। सदस्यों के द्वारा शासन को पुनः पत्र लिखकर सहमति प्राप्त करने हेतु सुझाव दिये।
08. विश्वविद्यालय सेमेस्टर परीक्षा (स्नातकोत्तर), बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड. सेमेस्टर परीक्षा 2016 हेतु जारी अग्रिम राशि रूपए 12,55,000/- (रूपए बारह लाख पचपन हजार मात्र) के 58 परीक्षा केन्द्रों को भुगतान के अनुमोदन पर विचार करना।
निर्णय : विश्वविद्यालय सेमेस्टर परीक्षा (स्नातकोत्तर), बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड. सेमेस्टर परीक्षा 2016 हेतु जारी अग्रिम राशि रूपए 12,55,000/- (रूपए बारह लाख पचपन हजार मात्र) के 58 परीक्षा केन्द्रों को भुगतान करने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

09. NCNR प्रोजेक्ट के अंतर्गत डॉ. एम.एल. नायक सेवानिवृत्त प्राध्यापक बायोसाइंस अध्ययनशाला की सेवाएं, कन्सल्टेंट के रूप में सेवावृद्धि किये जाने के संबंध में विचार करना।
- निर्णय : एन.सी.एन.आर. प्रोजेक्ट के अंतर्गत डॉ. एम.एल. नायक, भूतपूर्व प्राध्यापक, बायोसाइंस अध्ययनशाला की सेवाएं कंसल्टेंट के रूप में दिनांक 01.05.2016 से 30.04.2017 तक पूर्व निर्धारित शर्तों एवं मानदेय के अनुसार वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
10. सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉ. बी. के. शर्मा गणित अध्ययनशाला के भविष्य निधि की राशि रूपए 16,67,785/- (रूपए सोलह लाख सड़सठ हजार सात सौ पच्चासी मात्र) के भुगतान की सूचना ग्रहण करना।
- निर्णय : सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉ. बी. के. शर्मा गणित अध्ययनशाला के भविष्य निधि की राशि रूपए 16,67,785/- (रूपए सोलह लाख सड़सठ हजार सात सौ पच्चासी मात्र) के भुगतान किये जाने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।
11. डॉ. अम्बर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, फार्मसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को अध्ययन अवकाश की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
- निर्णय : डॉ. अम्बर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, फार्मसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में रमन फेलोशीप हेतु चयन होने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 के नियम 42 के अनुसार दिनांक 16.06.2016 से 10.02.2017 तक अध्ययन अवकाश की स्वीकृति दी गई।
12. श्री नंद कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त पटवारी, की संविदा नियुक्ति की अवधि में वृद्धि किए जाने पर विचार करना।
- निर्णय : श्री नंद कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त पटवारी, की संविदा नियुक्ति की अवधि में दिनांक 25.04.2016 से आगामी 6 माह के लिए वृद्धि किए जाने की स्वीकृति दी गई।
13. सम्बद्ध महाविद्यालयों के 0.5 से कम परफार्मेंस इण्डेक्स प्राप्त 32 महाविद्यालयों के संबंध में विचार करना।
- निर्णय : 0.4 से कम **Performance Index** वाले महाविद्यालय की प्राचार्यों की बैठक कर समीक्षा किया जाए। समीक्षा के पश्चात् सम्बद्धता की निरंतरता हेतु निर्णय लेने के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया।
14. प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष (शिक्षा) पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करना।
- निर्णय : निम्नलिखित महाविद्यालय में प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष (शिक्षा) पद के लिए चयन समिति की अनुशंसानुसार उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए व्यक्तियों के नाम का अनुमोदन किया गया :

स.क्र.	महाविद्यालय का नाम	चयनित व्यक्ति का नाम
प्राचार्य		
1.	सांद्रिपनी एकेडमी ग्राम अछोटी, पो.-मुरमुदा, व्हाया-धमधा, जिला-दुर्ग	डॉ. नाजिया अबिब खान
2.	भिलाई कालेज ऑफ इफॉर्मेशन टेक्नालॉजी, जामुल, भिलाई, जिला-दुर्ग	डॉ. घनश्याम तिवारी
विभागाध्यक्ष (शिक्षा) -		
1.	दिशा कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडिज़, रायपुर छ.ग.	डॉ. पूनम निकुंभ
2.	स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय, आमदी नगर, हुडको, भिलाई, जिला-दुर्ग	डॉ. नाजिया अबिब खान

उपरोक्त अनुमोदन के फलस्वरूप संबंधित महाविद्यालयों के लिए प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के पद के लिए अनुशंसित व्यक्तियों के न्यूनतम योग्यता पूरा करने के संदर्भ में बायोडाटा का परीक्षण करने के पश्चात् पत्र जारी किया जावे।

पूरक विषय सूची

01. विश्वविद्यालय रेगुलेशन 169 की कंडिका 8 के अनुसार Jain Study Chair के लिये Chair Person की नियुक्ति हेतु एक प्रतिष्ठीत (Eminent) सदस्य का मनोनयन कार्यपरिषद् के द्वारा किया जाना है विचारार्थ प्रस्तुत।
निर्णय : विश्वविद्यालय रेगुलेशन 169 की कंडिका 8 के अनुसार Jain Study Chair के लिये Chair Person की नियुक्ति हेतु एक प्रतिष्ठीत (Eminent) सदस्य का मनोनयन के संबंध में प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
 02. मध्यजोन एवं राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालयीन युवा उत्सव के प्रतिभागियों को यात्रा एवं दैनिक भत्ता वृद्धि किये जाने पर विचार करना।
निर्णय : मध्यजोन एवं राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालयीन युवा उत्सव के प्रतिभागियों को यात्रा एवं दैनिक भत्ता रु. 200/- प्रतिदिन एवं कोच मैनेजर को रु. 250/- प्रतिदिन प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
 03. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 28.05.2016 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।
निर्णय : भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 28.05.2016 के कार्यवृत्त के अनुमोदन किया गया।
 04. विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों (शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों) को व्यक्तिगत ऋण की सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में विनियम क्र. 156 में प्रावधान किये जाने के संबंध में विचार करना।
निर्णय : कुलपति सहायता निधि से संबंधित विनियम क्र. 156 की कंडिका 10 के बाद निम्नांकित प्रस्तावित प्रावधान का अनुमोदन किया गया -
- 11. The Personal Loan facility will be provided from "Kulpati Sahayata Nidhi" to University Employees (Teachers/Officers/Employees) as per previous rules/conditions.**

05. क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 21.04.2016 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।
निर्णय : क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 21.04.2016 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।
06. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 04.06.2016 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।
निर्णय : विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 04.06.2016 के कार्यवृत्त को अनुमोदन किया गया।
07. विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ-सफाई व्यवस्था के संबंध में की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय : विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ-सफाई व्यवस्था के संबंध में की विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निविदा के आधार पर DPC/CPC की अनुशंसा पर न्यूभारत सिक्यूरिटी डिटैक्टीव सर्विसेस, शॉप नं. 140, बस स्टैण्ड के पास, गणेश पेट नागपुर को उनके द्वारा प्रस्तावित दर पर 1 वर्ष के लिए किये गये अनुबंध की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।
08. विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति के द्वारा की गई अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।
निर्णय : (i) मेसर्स इंडियन सिक्यूरिटी फोर्स, शॉप नं. k-/264 सुभाष मार्केट भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) से वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दिनांक 01.05.2016 से 30.06.2016 तक (दो माह) विश्वविद्यालय परिसर एवं भवनों का कार्य लिया जा रहा है के संबंध में स्वीकृति के साथ दिनांक 01.07.2016 से समाप्त किये जाने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।
(ii) विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति के द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार न्यूभारत सिक्यूरिटी डिटैक्टीव सर्विसेस, नागपुर को उनके द्वारा प्रस्तावित दर पर 1 वर्ष दिनांक 01.07.2016 से 30.06.2017 तक के लिए अनुबंध करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
09. अपोलो कॉलेज, शासकीय वेटरीनरी कालेज के सामने, अंजोरा, दुर्ग में प्राचार्य पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करना।
निर्णय : अपोलो कॉलेज, अंजोरा, दुर्ग में प्राचार्य पद पर चयन समिति की अनुशंसा अनुसार डॉ. (श्रीमती) अनघा अगासे के नाम का अनुमोदन किया गया।
10. श्री जानकी प्रसाद शर्मा (बर्खास्त), निम्न वर्ग लिपिक द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 27.02.2015 पर कार्यपरिषद् के द्वारा गठित उप समिति के द्वारा सुनवाई के उपरांत प्रस्तुत अनुशंसा पर विचार करना।
निर्णय : प्रकरण से संबंधित अवधि में परिक्षार्थियों की संख्या, आवेदन पत्रों से प्राप्त शुल्क एवं आवेदन प्रपत्रों के विक्रय संख्या के Reconciliation के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।


अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय


1. कुलपति जी द्वारा संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् (DCDC) के पद पर नियमित नियुक्ति होने में अपरिहार्य कारणों से विलंब होने की जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि सभी महाविद्यालयों का नियमित निरीक्षण एवं सतत् संपर्क बनाने हेतु कार्यालयीन अवधि में पूरे समय पर संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् (DCDC) की उपलब्धता आवश्यक है। वर्तमान में प्रभारी के रूप में कार्यरत डॉ. आर.पी. दास द्वारा अध्ययन-अध्यापन एवं रिसर्च कार्य के साथ DCDC के कार्य भी देख रहे हैं। विश्वविद्यालय में अपनी सेवा देने हेतु डॉ. अंजनी कुमार शुक्ल सेवानिवृत्त प्राचार्य का आवेदन प्राप्त हुआ है। चूँकि नियमित नियुक्ति होने में विलंब हो सकता है तथा कालेजों से/UGC से सतत् संपर्क बनाए रखना आवश्यक है। अतः कार्यपरिषद् के समक्ष उनके द्वारा दिये गये आवेदन प्रस्तुत है।

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि डॉ. अंजनी कुमार शुक्ल सेवानिवृत्त प्राचार्य को उनकी उच्च शिक्षा में दीर्घ सेवाकाल को ध्यान में रखकर उनके पूर्व में धारित पद के अनुरूप DCDC के पद पर संविदा में शासन के नियमानुसार 1 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो पहले हो, तक किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

2. विश्वविद्यालय परिसर के यूटीलिटी सेन्टर में इंडियन कॉफी हाऊस खोले जाने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।
3. विश्वविद्यालय परिसर में अमूल पार्लर प्रारंभ किये जाने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।
4. कार्यपरिषद् सदस्य श्री नरेशचंद्र गुप्ता द्वारा बी.कॉम.एलएल.बी. प्रारंभ करने संबंधी प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि इसका विस्तृत प्रस्ताव बनाकर उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन को स्वीकृति हेतु भेजी जावे।
5. Super Market के संदर्भ में सूचना एवं कार्यप्रगति की जानकारी दी गई।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक संपन्न हुई।



कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक: 1496/अका./का.प./2016
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक : 14/06/2016

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/ जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)